रजिस्टर्ड

उत्तर प्रदेश शासन
कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-3
संख्या- 60/25-12के-2/22-3-2024-17(270)/24
लखनऊ : दिनांक: 18 मार्च, 2025

आदेश

उत्तर प्रदेश के श्री राज्यपाल, 'भारत का संविधान' के अनुच्छेद-161 के अधीन शक्तियों का प्रयोग करते हुए शासनादेश संख्या-564/2018/1106/22-2-2018-07जी/2018, दिनांक 01 अगस्त, 2018 एवं सपठित संशोधन विषयक शासनादेश संख्या-120/2021/1382/22-2-2021-07जी/2018, दिनांक 28.07.2021 व शासनादेश संख्या-52/2022/1240/22-2-2022-07जी0/2018, दिनांक 27.05.2022 के प्रस्तर-1 एवं 2(ख) में निहित प्राविधानों के अन्तर्गत विश्व स्वास्थ्य दिवस (07 अप्रैल, 2024) के अवसर पर आदर्श कारागार, लखनऊ में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी के0पी0 सिंह उर्फ मनोज यादव पुत्र श्री रामसूरत यादव (बन्दी संख्या-17006), निवासी ग्राम-तड़वा, थाना-मगहा, जनपद-गोरखपुर, हाल पता-मोती यादव का मकान, शिवापार्क रेनूकूट, थाना-पिपरी, जनपद-सोनभद्र, जिन्हें सत्र परीक्षण संख्या-26/2004 में भा0द0वि0 की धारा-302, 342 के अन्तर्गत मा0 न्यायालय, अपर सत्र न्यायाधीश/एफ0टी0सी0, सोनभद्र के आदेश दिनांक 25.03.2009 द्वारा मृत्युदण्ड से दण्डित किया गया, जिसकी अपील मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद के आदेश दिनांक 07.11.2009 द्वारा निर्णीत करते हुये मृत्युदण्ड की सजा को आजीवन कारावास में परिवर्तित किया गया, द्वारा जेल रिपोर्ट के अनुसार दिनांक 07.04.2024 तक 16 वर्ष, 27 दिन की अपरिहार सजा तथा 20 वर्ष, 03 माह, 08 दिन की सपरिहार सजा भोगी गयी है तथा जेल आचरण अच्छा है, की शेष सजा का परिहार करते हैं तथा यह आदेश देते हैं कि यदि उक्त बन्दी को किसी अन्य वाद में निरूद्ध रखा जाना वांछित न हो तो उसे अपनी शेष दण्डावधि में विधि सम्मत आचरण एवं शान्ति व्यवस्था बनाये रखने के लिए रूपये 50,000/-(रूपये पचास हजार मात्र) से अनधिक धनराशि का एक निजी मुचलका अपने सम्बन्धित कारागार के वरिष्ठ अधीक्षक/अधीक्षक को प्रस्तुत करने पर बन्दी को कारागार से मुक्त कर दिया जाय।

शिव गोपाल सिंह
संयुक्त सचिव।

संख्या व दिनांक तदैव।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- निजी सचिव, मा0 मंत्री, कारागार प्रशासन एवं सुधार विभाग, उ0प्र0 को मा0 मंत्री जी के सूचनार्थ।
2- निजी सचिव, मा0 राज्यमंत्री, कारागार प्रशासन एवं सुधार विभाग, उ0प्र0 को मा0 राज्य मंत्री जी के सूचनार्थ।
3- महानिदेशक/महानिरीक्षक, कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें, उ0प्र0, लखनऊ।
4- जिला मजिस्ट्रेट, गोरखपुर/सोनभद्र।
5- पुलिस अधीक्षक, गोरखपुर/सोनभद्र।
6- अधीक्षक आदर्श कारागार, लखनऊ।
7- नोडल अधिकारी/अधीक्षक, जिला कारागार, गाजियाबाद को मा0 उच्चतम न्यायालय, नई दिल्ली में योजित विशेष अनुज्ञा याचिका (क्रिमि0) संख्या-529/2021 सोनाधर बनाम छत्तीसगढ़ राज्य तथा सुओ मोटो रिट पिटीशन (क्रिमि0) संख्या-04/2021 पॉलिसी स्ट्रेट्जी फार ग्रान्ट ऑफ बेल में दिनांक 10.09.2024 को पारित आदेशों के सन्दर्भ में।
8- कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-2, उत्तर प्रदेश शासन।
9- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
अनीस अख्तर अंसारी
अनु सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in